संख्या-30/2016/आर-457/26-3-2016-10(1)/2013टी.सी.

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 15 फरवरी, 2016

विषयः- सिकिल सेल एनीमिया के प्रबन्धन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-326/ज.जा.वि./2015-16, दिनांक-30.01.2016, दिनांक-30.01.2016 एवं पत्रांक-327/ज.जा.वि./2015-16, दिनांक-01.02.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-02-796-01-0104-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उक्त योजनान्तर्गत सिकिल सेल एनीमिया के प्रबन्धन हेतु श्री राज्यपाल महोदय रूपया-1.51 लाख (रूपया एक लाख इक्यावन हजार मात्र) की निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र.स.	विवरण	धनराशि रू0
1	जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के दो हजार छात्र तथा प्रत्येक छात्र के कम से कम 4 परिवारों हेतु औसतन 10,000/- लोगों के परीक्षण हेतु 200 किट 50 व्यक्ति प्रति किट की औसत से 200 किट प्रति किट रू0 405/- की दर से 200 किट हेतु वैट अतिरिक्त रू0 81,000$ 5000 अनुमानित	86,000/-
2	कैम्प आदि की व्यवस्था व अन्य व्यय हेतु अनुमानित	50,000/-
3	कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुमानित	15,000/-
	योगः	**1,51,000/-**

(1)-उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वास्थ परीक्षण हेतु किट उपलब्ध/खरीदने हेतु कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्यरत एजेन्सी केन्द्रीय भण्डार, ब्लाक-119/3 'जे'टाइप सेक्टर-20, गांधीनगर, गुजरात को नामित किया जाता है।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है।

(4)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-81 के लेखा शीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0104-संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0 संख्या-30/2016/आर-457(1)/26-3-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, भारत सरकार नई दिल्ली।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- केन्द्रीय संसाधन अनुभाग/गार्डफाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।